संख्या- 228 /2024 / 1281 /चार-2024 -1 (बजट)/ 2017

प्रेषक,

रघुनाथ प्रसाद वर्मा,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
उ0 प्र0 संग्रहालय निदेशालय,
लखनऊ ।

संस्कृति अनुभाग: लखनऊ: दिनांक 22 अप्रैल, 2024

विषय:- चालू वित्तीय वर्ष 2024-25 के वेतन भत्तों के व्ययों को वहन करने हेतु अनुदान की स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक आपके पत्र संख्या-09/उ0प्र0सं0नि0-2(96)/2024-25 दिनांक 09 अप्रैल, 2024 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए उ0प्र0 संग्रहालय निदेशालय एवं अधीनस्थ संग्रहालयों के वेतन भत्ते एवं अन्य बचनबद्ध व्ययों की पूर्ति हेतु अनुदान के रूप में प्रस्तर-2 की तालिका के अनुसार लेखाशीर्षक के सम्मुख अंकित धनराशि रू0 24,29,16,000.00 (रुपये चौबीस करोड़ उनतीस लाख सोलह हजार मात्र) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति निम्नलिखित नियमों व शर्तों के अधीन श्री राज्यपाल सहर्ष प्रदान करते हुए उक्त कुल धनराशि आपके निर्वतन पर रखे जाने की अनुमति भी प्रदान करते है:-

नियम व शर्तें:-

(1) प्रश्नगत धनराशि का आहरण वित्तीय हस्तपुस्तिका के संगत नियमों के अनुसार राजकोष से किया जाएगा। धनराशि का आहरण वास्तविक आवश्यकतानुसार किया जायेगा तथा इसे आहरित कर किसी बैंक/ पोस्ट आफिस में नहीं रखा जायेगा।
(2) स्वीकृत धनराशि का उपयोग निर्धारित मदों में सुसंगत नियमों के अधीन किया जायेगा।
(3) प्रश्नगत वित्तीय स्वीकृति जिस कार्य/ मद हेतु दी जा रही है, उसका उपयोग नियमानुसार उसी कार्य/ मद हेतु किया जायेगा।
(4) उक्त धनराशि को व्यय किये जाने में वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर जारी एवं वर्तमान में प्रभावी मितव्ययिता संबंधी शासनादेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
(5) उपरोक्त स्वीकृत धनराशि आवंटित मदों पर व्यय की जायेगी, व्यय की अन्य मदों हेतु कदापि उपयोग नहीं किया जायेगा। यह भी सुनिश्चित किया जायेगा कि इन धनराशियों का आंवटन मात्र किसी प्रकार के व्यय करने का प्राधिकार नहीं देता, व्यय करने के लिए बजट मैनुअल और वित्तीय नियम संग्रहों तथा अन्य स्थाई आदेशों के अन्तर्गत राज्य सरकार/केन्द्र सरकार अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की, जहाँ कही आवश्यकता हो, व्यय करने के पूर्व स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जायेगी।
(6) वर्तमान में प्रभावी आदर्श चुनाव आचार संहिता का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

2. इस संबंध में होने वाला व्यय

लेखाशीर्ष: 2205001070300 (अधिष्ठान व्यय) संग्रहालय निदेशालय

	अनुदान संख्या	लेखा शीर्षक	मानक मद	प्रस्तावित धनराशि
1	092	2205001070300 अधिष्ठान व्यय	01 वेतन	11,20,00,000 (रुपये ग्यारह करोड़ बीस लाख मात्र)
2	092	2205001070300 अधिष्ठान व्यय	02 मजदूरी	25,00,000 (रुपये पच्चीस लाख मात्र)

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

3	092	2205001070300 अधिष्ठान व्यय	03 मंहगाई भत्ता	6,16,00,000 (रुपये छह करोड़ सोलह लाख मात्र)
4	092	2205001070300 अधिष्ठान व्यय	04 यात्रा व्यय	5,70,000 (रुपये पाँच लाख सत्तर हजार मात्र)
5	092	2205001070300 अधिष्ठान व्यय	05 स्थानान्तरण यात्रा व्यय	6,000 (रुपये छह हजार मात्र)
6	092	2205001070300 अधिष्ठान व्यय	06 अन्य भत्ते	2,50,000 (रुपये दो लाख पचास हजार मात्र)
7	092	2205001070300 अधिष्ठान व्यय	07 मानदेय	1,00,000 (रुपये एक लाख मात्र)
8	092	2205001070300 अधिष्ठान व्यय	08 कार्यालय व्यय	4,50,000 (रुपये चार लाख पचास हजार मात्र)
9	092	2205001070300 अधिष्ठान व्यय	09 विद्युत देय	2,00,00,000 (रुपये दो करोड़ मात्र)
10	092	2205001070300 अधिष्ठान व्यय	10 जलकर / जल प्रभार	1,10,000 (रुपये एक लाख दस हजार मात्र)
11	092	2205001070300 अधिष्ठान व्यय	11 लेखन सामग्री और फार्मों की छपाई	3,30,000 (रुपये तीन लाख तीस हजार मात्र)
12	092	2205001070300 अधिष्ठान व्यय	12 कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण	4,00,000 (रुपये चार लाख मात्र)
13	092	2205001070300 अधिष्ठान व्यय	13 टेलीफोन पर व्यय	2,50,000 (रुपये दो लाख पचास हजार मात्र)
14	092	2205001070300 अधिष्ठान व्यय	15 गाड़ियों का अनुरक्षण और पेट्रोल आदि की खरीद	4,00,000 (रुपये चार लाख मात्र)
15	092	2205001070300 अधिष्ठान व्यय	17 किराया, उपशुल्क और कर-स्वामित्व	2,00,000 (रुपये दो लाख मात्र)
16	092	2205001070300 अधिष्ठान व्यय	18 प्रकाशन	1,50,000 (रुपये एक लाख पचास हजार मात्र)
17	092	2205001070300 अधिष्ठान व्यय	26 मशीनें और सज्जा /उपकरण और संयंत्र	3,00,000 (रुपये तीन लाख मात्र)
18	092	2205001070300 अधिष्ठान व्यय	29 अनुरक्षण	12,50,000 (रुपये बारह लाख पचास हजार मात्र)
19	092	2205001070300 अधिष्ठान व्यय	42 अन्य व्यय	3,10,00,000 (रुपये तीन करोड़ दस लाख मात्र)

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

20	092	2205001070300 अधिष्ठान व्यय	44 प्रशिक्षण हेतु यात्रा एवं अन्य प्रासंगिक व्यय	2,00,000 (रुपये दो लाख मात्र)
21	092	2205001070300 अधिष्ठान व्यय	45 अवकाश यात्रा व्यय	2,50,000 (रुपये दो लाख पचास हजार मात्र)
22	092	2205001070300 अधिष्ठान व्यय	46 कम्प्यूटर हार्डवेयर/साफ्टवेयर का क्रय	5,00,000 (रुपये पाँच लाख मात्र)
23	092	2205001070300 अधिष्ठान व्यय	47 कम्प्यूटर अनुरक्षण/तत्सम्बन्धी स्टेशनरी का क्रय	5,00,000 (रुपये पाँच लाख मात्र)
24	092	2205001070300 अधिष्ठान व्यय	49 चिकित्सा व्यय	20,00,000 (रुपये बीस लाख मात्र)
25	092	2205001070300 अधिष्ठान व्यय	51 वर्दी व्यय	1,00,000 (रुपये एक लाख मात्र)
26	092	2205001070300 अधिष्ठान व्यय	55 मकान किराया भत्ता	50,00,000 (रुपये पचास लाख मात्र)
27	092	2205001070300 अधिष्ठान व्यय	58 आउट सोर्सिंग सेवाओं हेतु भुगतान	25,00,000 (रुपये पच्चीस लाख मात्र)
	कुल			**24,29,16,000** **(रुपये चौबीस करोड़ उनतीस लाख सोलह हजार मात्र)**

के नामे डाला जायेगा।

3. यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2024/बी-1-294/दस-2024-231/2024, दिनांक 04 मार्च, 2024 में प्राप्त दिशा निर्देशों के अन्तर्गत प्रशासकीय विभागों को प्रतिनिधानित अधिकारों के अन्तर्गत निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,
रघुनाथ प्रसाद वर्मा
अनु सचिव

संख्या- 228 /2024/ 1281(1) /चार-2024-1 (बजट)/2017 तद्दिनांक

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार (लेखा व हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
2- महालेखाकार (लेखा - परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
3- निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उ0प्र0 प्रयागराज।
4- वित्त एवं लेखाधिकारी, उ0 प्र0 संग्रहालय निदेशालय, लखनऊ।
5- मुख्य कोषाधिकारी, कोषागार, जवाहर भवन, लखनऊ।
6- आहरण एवं वितरण अधिकारी, उ0 प्र0 संग्रहालय निदेशालय, लखनऊ।
7- वित्त (लेखा) अनुभाग-1/वित्त (ई-7) अनुभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
8- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
रघुनाथ प्रसाद वर्मा
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।